उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक...B/136...../ जबलपुर, दिनांक 09 जनवरी,2020
चार–8–69/2003

(प्रतिलिपि –संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र कमांक संपेभनिबी/बीमा/2019/2171 दिनांक 18.11.2019 की छायाप्रति)

प्रतिलिपि :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
3. विशेष न्यायाधीश, राज्य के समस्त
4. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
5. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
7. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
8. सहायक(यात्रा भत्ता)/अग्रिम , उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
9. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)
8.1.20

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/संपेभनिबी/बीमा/2019/ 2171 भोपाल, दिनांक 18/11/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना–2003 के अंतर्गत बचत निधि में ब्याज सहित जमा राशि की गणना तालिका (Ready Reckoner) वर्ष 2018–20

संदर्भ :– म0प्र0शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 1134/3474/2011/ई/चार, दिनांक 08.05.2018, संचालनालय का पत्र कमांक/संपेभनिबी/बीमा/2018/3173–74 दिनांक 27.09.2018 एवं वित्त विभाग का परिपत्र क.–1754/1341/2019/ई/चार दिनांक 27.07.2019

0000

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बीमा सह बचत योजना–2003 के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लिए बचत राशि पर 7 प्रतिशत (तिमाही संयोजित) प्रतिवर्ष ब्याज दर का निर्धारण किया गया है ।

2/ इस संचालनालय द्वारा विषयांकित योजनान्तर्गत वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक के लिए गणना तालिका (Ready Reckoner) तैयार कर प्रकाशित की गई है, जो वित्त विभाग की बेवसाईट http://www.finance.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

3/ योजनान्तर्गत वर्ष 2018–20 के लिए पृथक से गणना तालिका (Ready Reckoner) निम्नानुसार तैयार की गइ है। सरल कमांक 01 से 12 तक की गणना वर्ष 2018–19 तथा सरल कमांक–13 से 24 तक की गणना वर्ष 2019–20 से संबंधित है।

(जुलाई 2018 से जून 2020 तक)
[ब्याज दर 7 प्रतिशत (तिमाही संयोजित) प्रतिवर्ष,

अ0क्र0	योजना की सदस्यता अवधि महीनों में	जमा बचत निधि राशि (रूपये में)	बचत निधि पर देय ब्याज राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	1 माह	65	0	65
2	2 माह	130	1	131
3	3 माह	195	3	198
4	4 माह	260	5	265
5	5 माह	325	6	331
6	6 माह	390	9	399
7	7 माह	455	11	466
8	8 माह	520	15	535
9	9 माह	585	18	603
10	10 माह	650	22	672
11	11 माह	715	26	741

..2..

12	12 माह	780	31	811
13	13 माह	845	36	881
14	14 माह	910	41	951
15	15 माह	975	47	1022
16	16 माह	1040	53	1093
17	17 माह	1105	60	1165
18	18 माह	1170	67	1237
19	19 माह	1235	75	1310
20	20 माह	1300	83	1383
21	21 माह	1365	91	1456
22	22 माह	1430	100	1530
23	23 माह	1495	109	1604
24	24 माह	1560	119	1679

4/ उक्त गणना तालिका को देखने की विधि एवं पूर्व प्रचलित गणना तालिक के अनुक्रम में उपयोग किए जाने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं –

(1) ऐसे शासकीय सेवक जिसने मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना– 2003 की सदस्यता 01.07.2003 में ग्रहण की है और जो 30 जून 2018 के पश्चात् योजना का सदस्य नहीं रह जाता है ।	योजनान्तर्गत पूर्व से जारी गणना तालिका (Ready Reckoner) का उपयोग किया जावेगा ।
(2) ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 01.07.2003 के पश्चात् मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना–2003 की सदस्यता ग्रहण की है और जो 01 जुलाई 2018 के 30 जून 2020 तक या उसके मध्य योजना का सदस्य बना रह कर सेवानिवृत्त/सेवा त्याग/सेवा समाप्ति /दिवगंत हो जाता है ।	(अ) शासकीय सेवक के योजना की सदस्यता ग्रहण करने वाले माह से लेकर जून 2018 तक कुल महीनो की संख्या ज्ञात की जाकर पूर्व प्रचलित गणना तालिका (Ready Reckoner) के कॉलम–5 में दर्शित एक यूनिट की राशि मे शासकीय सेवक की श्रेणी अनुसार 2, 4, या 6 का गुणा कर राशि ज्ञात की जावेगी । तत्पश्चात् उक्त प्राप्त राशि पर 01 जुलाई 2018 से सेवानिवृत्ति/सेवा त्याग/सेवा समाप्ति/ दिवगंत होने तक (30 जून 2020 तक, जो भी स्थिति हो) के लिए 7%(तिमाही संयोजित) प्रतिवर्ष ब्याज की गणना कर राशि ज्ञात की जावेगी । (ब) योजनान्तर्गत 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक के लिए पृथक से 7% (तिमाही संयोजित) प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधार पर जारी गणना तालिका से जुलाई 2018 से सेवानिवृत्ति/सेवा त्याग/सेवा समाप्ति/ मृत्यु के माह तक की कुल अवधि महिनों में ज्ञात की जावेगी । ज्ञात माहों की संख्या अनुसार गणना तालिका(Ready Reckoner)के कॉलम–5 में दर्शित एक यूनिट के लिए देय

संचालनालय पें[illegible] [illegible]विष्य निधि एवं बीमा
[illegible] भोपाल

	रा[illegible] शासकीय सेवक की श्रेणी अनुसार 2.5, या 6 का [illegible] राशि ज्ञात की जावेगी । ([illegible]) [illegible] प्रकार बिन्दु क्रमांक--(अ) तथा बिन्दु क्रमांक-- (ब) से [illegible] राशियों के योग से प्राप्त कुल राशि शासकीय सेवक [illegible] नामांकित वैध सदस्य या वैध उत्तराधिकारी को योजना के अन्तर्गत भुगतान योग्य होगी ।
(3) ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 01.07.2018 या उसके पश्चात नियुक्त होकर योजना की सदस्यता ग्रहण करता है एवं दिनांक 30.06.2020 या उससे पूर्व योजना का सदस्य नहीं रह जाता है ।	[illegible] दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.06.2020 तक [illegible] जारी गणना तालिका (Ready Reckoner) का उपयोग किया जावेगा ।

(सतीशचन्द्र [illegible])
संचालक,
पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां०क्र० / संपभनिबी / बीमा / 2019 / [illegible]
भोपाल, दिनांक [illegible] / [illegible] / 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन [illegible] ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर ।
9. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मण्डल / [illegible] मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग [illegible] वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया उप[illegible]नुसार गणना तालिका विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित [illegible] का कष्ट करें ।
11. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
12. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, [illegible] वल्लभ भवन, भोपाल ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, को[illegible] मध्यप्रदेश ।
14. समस्त संभागीय / जिला पेंशन अधि[illegible] मध्यप्रदेश ।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
16. [illegible]

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
09 DEC 2019
Reg. No. 50522
Receipt Clerk
High Court Jabalpur
DAC 9/12/19